127.

संं0 1162/IV(2)श0वि0–2012–80(सा0)/10

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून, उत्तरांचल।

शहरी विकास अनुभाग–2: देहरादून, दिनांक– 09 अगस्त, 2012

विषय : स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके विपरीत राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय, शहरी विकास, भारत सरकार की एडवाईज नं0 90, कोड 707, दिनांक 28.03.2012 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजनान्तर्गत रू. 291.98 लाख की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त करने का प्रस्ताव किया गया, जिसके क्रम में भारत सरकार के पत्रों दिनांक 26.03.2012 द्वारा उक्त धनराशि अवमुक्त की गई है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रांश रू. 291.98 लाख एवं उसके सापेक्ष देय 10 प्रतिशत राज्यॉश रू. 32.44 लाख को सम्मिलित करते हुए संगत मद से रू. 75.00 लाख एवं संलग्न बीएम 15 में उल्लिखित मदों के बचतों के व्यावर्तन से रू. 249.42 लाख इस प्रकार **कुल धनराशि रू0 324.42 लाख (रूपये तीन करोड़ चौबीस लाख बयालीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त अनुदान का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमा तक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रॉश तथा उस पर अनुमन्य अनुपातिक राज्यॉश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(iii) व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसके क्रय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश मितव्ययिता के विषय में शासन के आदेश एवं तदविषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(v) इस धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2013 तक अवश्य कर लिया जाय। उसके प्रथम त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार व शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिये जाय। एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगिता/दुरूपयोगिता धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को समर्पित करनी होगी। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(vi) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निकायों से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा ताकि एक कार्य हेतु दो निधि से धनराशि अवमुक्त न हो।

(vii) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड आहरण की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कर लेगें।

(viii) अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक प्रगति रिपोर्ट, भौतिक प्रगति सहित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि अनुदान संख्या–13 की प्रगति आख्या के अतिरिक्त होगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे **रू. 308.67 लाख** की धनराशि, **अनुदान सं0–30**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे **रू. 13.50 लाख** तथा **अनुदान सं0–31**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे **रू. 2.25 लाख** की धनराशि डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0 420/XXVII(2)/2012 दिनांक 31 जुलाई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

सं0 1162 (1)/IV(2)-श0वि0–12,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, ई0एम0पी0ए0, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– निदेशक, स्थानीय निधि, कोषागार, डालनवाला, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून/समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15
शहरी विकास विभाग

पुनर्विनियोग–2012–13 आयोजनागत
प्रशासनिक विभाग–शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

अनुदान संख्या–13
(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 750000	–	725058	24942 (क)	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 5925 (ख)	30867	725058	(क) बजट प्राविधान मांग के अनुरूप न होने के कारण (ख) भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया में परिवर्तन होने के कारण।
योग – 750000		725058	24942	5925	30867	725058	

उपरोक्त पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 151 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या– 420(A) /XXVII(2)/2012
देहरादून : दिनांक– 31 अगस्त, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

संख्या–1162/IV-शा0वि0–12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, वित्त एवं लेखा सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।